

## Crime-I

फर्द अहकाम





(नियम 26)

अज अदालत...सहायक कलक्टर मुकाम...खीवसर

बिदामीदेवी बलनाम जोगाराम वगैराह


किस्म मुकदमा...राजस्व प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट....नं.....1.100...

.सन्..2020

व हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  12.11.2020	नम्बर व तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
	<p>प्रार्थी ने जरीये वकील अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है वकील प्रार्थी का एक पक्षीय सुना गया और वकील प्रार्थी को भी सुना गया। वकील प्रार्थी के कथनानुसार विवादग्रस्त बगैर बंटवाड़ा की आराजी में प्रार्थी के हक हिस्से की आराजी में अप्रार्थीगण द्वारा दखलन्दाजी करने का अदेशा होने से अप्रार्थीगण को अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र दर्ज रजिस्ट्रर हो। आगामी तारिख पेशी दिनांक 22.12.2020 तक बहक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय कि जारी की जाती है कि मौजा खीवसर के खेत ख.न. 1733/296 रकबा 15.00 बीघा का अप्रार्थीगण बैचान, रहन हस्तान्तरण आदिन नहीं करने एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखलदांजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु, अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।</p> <p>नोट:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. उक्त अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा <b>DILRMP</b> के कार्य पर एवं अन्तर्गत धारा 251, 251 अ एल.आर. एक्ट पर प्रभावी नहीं रहेगी।</li> <li>2. उक्त अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक 22.12.2020 तक ही प्रभावी रहेगी।</li> </ol> <p>अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन जरीये जबाव प्रस्तुत करें अन्यथा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। मिशाल वास्ते जबाव हेतु दिनांक 22.12.2020 पेश हो</p> <p>1</p> <p style="text-align: center;">       सहायक कलक्टर      खीवसर   </p> <p>14.12.20      प्रार्थी मय प्रार्थी वकील      के- निवेदन पत्र प्रस्तावनी के      पेश-हुई। वकील-प्रार्थी के      पेश-हुई-निवेदन प्रार्थी      की-तय प्रस्तावना के मय</p>	<p style="text-align: center;">       अति बिदामीदेवी   </p> <p style="text-align: center;">       अति शरीर      Identified by   </p>

21/1/2021 को सुबह 9 बजे को ...  
 20-12-20 को को-विड-संक्रमण की ...  
 9 नवंबर को को-विड-संक्रमण की ...  
 21/1/2021 को सुबह 9 बजे को ...  
 20-12-20 को को-विड-संक्रमण की ...  
 9 नवंबर को को-विड-संक्रमण की ...  
 21/1/2021 को सुबह 9 बजे को ...  
 20-12-20 को को-विड-संक्रमण की ...  
 9 नवंबर को को-विड-संक्रमण की ...

सहायक कमिश्नर  
 (S.D.O.) खीरसाहू



Yours  
कलकत्ता  
1. खोंवसा

सेवा में,

श्रीमान सहायक कमिश्नर (S.D.O.)  
मदंग

खोंवसा

प्राथीगण	बनाम	अप्राथीगण
बिदामी देवी कोंठ		जोगाराम कोंठ
रा. प्रार्थना पत्र सं.	1/2020	ता. पेशी. 22.12.2020

रा. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. ध.

आवेदन वास्ते रा. प्रार्थना पत्र आज तारीख पेशी पर लिया जा कर रा. प्रार्थना पत्र जरिये विट्रोल खारिज बिधे जावेकक

श्रीमान जी, प्राथीगण की ओर से निवेदन है कि -

(1) यह है कि प्राथीगण एवं अप्राथीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है तथा प्राथीगण अपना स्थान प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलायाना चाहती है तथा राजस्व प्रार्थना पत्र जरिये विट्रोल खारिज करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि -

उपरोक्त अन्वयन की पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली जा कर आज ही जरिये विट्रोल खारिज बिधे जाने के आदेश फरमावे।

दिनांक 14.12.2020



अंगे बिदामी देवी



अंगे रतती देवी

22/12/20